फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद संख्या 13/2010 अन्तर्गत श्रीमति ... बनाम ... वगैरा अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुवे
17-3-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री भरत जे. राठौड़ उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री विजयराज चौधरी उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड एवं नकूलात की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर है कि वकील प्रतिवादी श्री विजयराज चौधरी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से दलील दी जा रही है कि वादीनी ने उक्त वाद वादग्रस्त सम्पति को पैतृक सम्पति मानते हुए वाद प्रस्तुत किया है अर्थात् समांचित सम्पति मानते हुए वाद प्रस्तुत किया है एवं समाचित सम्पति में वादीया नहीं आती थी। वादीनी के पिता का देहान्त हुए करीब 65 से 70 वर्ष हो गये जिसका वाद वादीनी ने प्रस्तुत किया है चूंकि वादी व प्रतिवादी का परिवार मिताक्षरा विधि से शासित होता है एवं तत्समय समांचित सम्पति में नारी सदस्य नहीं होती थी तथा वादीनी वादग्रस्त कृषि भूमि में हित नहीं रखती थी। जिससे वादीनी को कानूनी रूप से वाद लाने का लोकेश स्टेण्डाई नहीं होने से वादीनी का वाद खारिज योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2015 बजानवान मुकदमा प्रकाश वगैरा बनाम फुलवन्ती वगैरा में 2005 के बाद में ही नारी को समांचित सम्पति में अधिकार दिये गये है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (अमेण्डमेन्ट) 2005 से पहले नारियों को समांचित सम्पति हक प्रदान नहीं था जिससे वादीनी का वाद कानूनी रूप से बाधित होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित वकील प्रतिवादी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील वादी श्री भरत जे. राठौड़ द्वारा दलील दी जा रही है कि विवादित सम्पति वादीनी द्वारा स्व0 देवाजी के खातेदारी की होना मानते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) (ए) के तहत जो कि दिनांक 09.09.2005 से संशोधन अधिनियम में लागु हुआ है के तहत वाद पेश किया है जो कि वादिया भी शेड्युल प्रथम के तहत आती है। वादीया जो कि स्वर्गीय देवाजी की पुत्री है का भी पुत्र की भाँति समान हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आता है जिससे वादीनी ने वाद कानुनी बिन्दु के आधार पर सही रूप से पेश किया है। अपनी दलीलो में अंत में निवेदन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में हुए संशोधन पूर्वगामी लागु होते है, जिससे वादीनी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा व वादपत्र लाने का पूरा अधिकार है तथा वाद कानूनन बाधित नहीं है तथा प्रतिवादी जवाबदावा में आपत्ति लेने के लिये स्वतंत्र है तथा पुत्री सहदायिकी श्रेणी में आती है। अतः प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी खारिज कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही का निवेदन किया। दोनो पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में आदेश 07 नियम 11 में वर्णित प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों अनुसार–** **11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना–** वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा– (क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा	

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तो इस हुक्म

अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैं

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक हैं किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है,

(च) जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थर रहा है,

(छ) जहां वादी नियम 9(3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 07 नियम 11 में उल्लेखित कारणो के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि वादी का उक्त वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है। वादीनी ने अपने स्वर्गीय पिता देवाजी की सम्पति में हक होने के आधार पर उक्त घोषणात्मक वाद पेश किया है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो अनुसार पुत्रियॉ पिता की सम्पति में हक प्राप्त कर सकती है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जवाबदावा से बचने के ईरादे से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वकील प्रतिवादी अपना उक्त एतराज जवाबदावा में ले सकते है। जिससे इस स्टेज पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर सटीक नहीं होने से खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी सी.पी.सी. के प्रोविजो अनुसार जवाबदावा शीघ्र पेश करे। मिसल वास्ते प्रस्तुती जवाबदावा प्रतिवादीगण दिनांक 24-9-2019 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner